राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 57 राजस्व विभाग

दिनांक 25.02.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष डीएम (वेस्ट) ऑफिस में बड़ी संख्या में फर्जी पतों पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी;	जी हाँ, माननीय विधायक श्री जरनैल सिंह द्वारा मेल दिनांक 16.04.2018 से 19 सर्टिफिकेट और लेजिस्लेटिव असेम्बली सेक्रेटेरिएट लैटर F.24(25)/Vol-V/Petition/2018-19/LAS-VI/ Leg./2959 दिनांक 15.06.2018 से 46 सर्टिफिकेट से संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।
ख)	क्या यह शिकायत सही पाई गई थी;	जी हाँ।
ग)	यदि हाँ, तो कुल कितने नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे;	सभी सर्टिफिकेट की जाँच की जिनमें से 43 सर्टिफिकेट गलत पते पर जारी किए गए थे।
घ)	इतनी बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है;	ये सभी जन्म प्रमाण पत्र आवेदकों द्वारा दिए गए एफिडेविट और दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए। गलत एफिडेविट और जाली दस्तावेज देने के लिए पुलिस विभाग को एफआईआर करने के लिए पत्र दिया गया है दस्तावेजों का गलत सत्यापन करने वाले 2 संविदा कर्मियों को अभ्यर्पण पर दिया गया है एवं 1 कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सस्तुति की गई है।
ड)	लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;	
च)	क्या इसके लिए विभाग द्वारा कोई जाँच समिति बैठाई गई थी; और	जी हाँ, एसडीएम (पटेल नगर) और सिस्टम एनालिस्ट की सदस्यता वाली समिति का गठन किया गया है।
छ)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(राजीव कुमार)
उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय) / लिंक अधिकारी

RAJEEV KUMAR
Sub Divisional Magistrate (HQ)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54